an>

Title: Need to provide reservation to domicile students of Rajasthan in admission in the National Law University, Jodhpur, Rajasthan.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर की स्थापना राजस्थान सरकार के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 (1999 के एक्ट नं0 22) द्वारा हुई थी। इस यूनिवर्सिटी के कुल 115 सीटें हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा "क्लेट " के माध्यम से प्रवेश मिलता है। उल्लेखनीय है कि पूरे भारत में इस तरह के 15 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। जिस राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है, उस राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में इन एन.एल.यू. में राज्य के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की सूची इस प्रकार है।

क्र.सं.	एन.एल.यू.	कुल स्थान	राज्य के लिए आरक्षित स्थान
1	नालसार, हैदराबाद	80	14
2	एन.एल.आई.यू., भोपाल	120	51
3	एव.एन.एल.यू.,रायपुर	180	80
4	जी.एन.एल.यू.,गाँधीनगर	180	45
5	आर.एम.एल.एन.एल.यू., लखनऊ	160	80
6	आर.जी. एन.एल.यू., पटियाला	120	13
7	सी.एन.एल.,पटना	140	60
8	एन.यू.एल.ए.एस., कोच्चि	120	29
9	एन.यू.एस.आर.एल., रॉंची	100	50
10	एन.एल.यू.जे.ए.ए., आसाम	60	15
11	टी.एन.एन.एल.एस., तिरुचरापल्ली	100	45

इस संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान "दैनिक भास्कर " में दिनांक 20 जनवरी, 2013 रविवार को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार "नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्टेट कोटा हम 14 साल बाद भी वंचित " की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में 15 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में से 11 राज्यों में सीट आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उस राज्य के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश का मौका मिलता है, लेकिन यह सुविधा राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर इस संस्थान का फायदा राज्य के विद्यार्थियों को दिया जाए, इससे संस्थान से परीक्षा में बैठने वाले तकरीबन 5 हज़ार विद्यार्थी तथा उनके माता-पिता लाभान्वित होंगे।